


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक...3-3-20

संख्या-7/स्था0-04-04/2016सा0प्र0...3335.../महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-9351 दिनांक 10.02.2020 द्वारा संसूचित अनुशांसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-8532 दिनांक 26.06.2019 में निहित शर्तों के अधीन श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, पीठासीन पदाधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीतामढ़ी के पद पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपना योगदान निश्चित रूप से समर्पित किये जाने के शर्त पर उन्हें पुनर्नियुक्त किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक-7/स्था0-04-04/2016सा0प्र0...3335.../पटना-15, दिनांक...3-3-20.

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-04/2016सा0प्र0...3335.../पटना-15, दिनांक...3-3-20

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-9351 दिनांक 10.02.2020 के प्रसंग में/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी/श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, पीठासीन पदाधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीतामढ़ी को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम से सूचनार्थ तथा अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

निबंधित